388

विधि

समक्ष : न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश केम्प सागर

निग० 1988-I/16

रा.प्र.क्र.

पुनरीक्षणकर्तागण:- 1. हरिलाल पिता अच्छेलाल घोषी

2. देवी सिंह पिता हरिलाल घोषी

3. सीताराम पिता मलखान घोषी

4. करिया पिता रोशन घोषी

सभी सा.ग्राम चौरई, तह.-तेंदूखेड़ा, जिला-दमोह (म.प्र.)

श्रीमती रजनी एडवोकेट द्वारा आज दि. 22/6/16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

उत्तरार्थीगण :- 1. देव कुमार पिता ठाकुर प्रसाद तिवारी

2. देवकरन पिता ठाकुर प्रसाद तिवारी

दोनों सा.ग्राम चौरई, तह.-तेंदूखेड़ा, जिला-दमोह (म.प्र.)

R.V. 22-6-16

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्तागण न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय तेंदूखेड़ा, जिला-दमोह के द्वारा अपील प्रकरण क्र. 19/अ 70/वर्ष 2015-16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12.05.2016 से परिवेदित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं।

(अ) प्रकरण के तथ्य

1 – यह कि उत्तरार्थीगण द्वारा एक आवेदन अंतर्गत धारा 250 (3) म.प्र.भू-रा. संहिता 1959 के तहत न्यायालय तहसीलदार महोदय, तेंदूखेड़ा जिला-दमोह के समक्ष प्रस्तुत कर उत्तरार्थीगण की भूमि ख.नं. 214/3 क, 214/3 ख रकवा क्रमशः 0.323, 0.324 हे. स्थित ग्राम तेंदूखेड़ा प.ह.नं. 12/45 तह.तेंदूखेड़ा जिला दमोह पर से पुनरीक्षणकर्तागण क्र. 1 व 2 का कब्जा पृथक कराने का निवेदन किया गया था।

2 – यह कि उक्त प्रकरण रा.प्र.क्र. 14/अ70/14-15 अनुसार पंजीबद्ध किया गया था। उक्त प्रकरण में पुनरीक्षणकर्तागण की आपत्ति पर उभय पक्ष के तर्क श्रवण कर प्रकरण

निरंतर.......2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला दमोह

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1988-एक/2016

हरिलाल विरूद्ध देवकुमार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तेंदूखेडा जिला दमोह के प्रकरण क्रमांक 19/अ-70/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 12-05-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर दमोह के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-05-2019 को कलेक्टर दमोह के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) सदस्य 18/3/19	